रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/93

REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 458] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 30, 1993/पौष 9, 1915

No. 458] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 30, 1993/PAUSA 9, 1915

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1993

सा.का.नि. 790 (अ).—भारत गणराज्य की सरकार तथा संयुक्त राज्य ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैण्ड की सरकार के बीच प्रत्यर्पण संधि पर 22 सितम्बर, 1992 को हस्ताक्षर किए गए थे और अनुसमर्थन के दस्तावेजों का 15 नवम्बर, 1993 को नई दिल्ली में आदान-प्रदान किया गया था और उस संधि में निम्नलिखित का उपबंध किया गया है।

भारत गणराज्य की सरकार तथा संयुक्त राज्य ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैण्ड की सरकार के बीच प्रत्यर्पण संधि

भारत गणराज्य की सरकार और संयुक्त राज्य ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरलैण्ड की सरकार,

अपराधियों के पारस्परिक प्रत्यर्पण का भी प्रावधान करके अपराध को रोकने में दोनों देशों के बीच सहयोग को अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी बनाने की इच्छा से;

इस बात को मानते हुए कि आतंकवाद को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है;

नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई हैं:

अनुच्छेद-1 : प्रत्यर्पित करने का दायित्व

(1) दोनों संविदाकारी राज्यों में से प्रत्येक संविदाकारी राज्य इस बात का वचन देता है कि वह इस संधि में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में तथा शर्तों के अधीन ऐसे किसी भी व्यक्ति को दूसरे संविदाकारी राज्य को प्रत्यर्पित करेगा जो अनुच्छेद-दो में यथावर्णित किसी ऐसे अपराध का अभियुक्त हो अथवा सिद्ध-दोष हो जिसे उसने किसी एक राज्य के प्रदेश में किया हो और वह दूसरे राज्य के प्रदेश में पाया गया हो चाहे ऐसा अपराध इस संधि के प्रवृत्त होने से पूर्व अथवा उसके बाद किया गया हो।

(2) अनुरोधकर्ता राज्य के प्रदेश से बाहर अनुच्छेद-2 में यथापरिभाषित प्रत्यर्पण अपराध के संबंध में भी प्रत्यर्पण उस स्थिति में उपलब्ध होगा जब ऐसे अपराध पर अनुरोधकर्ता राज्य का क्षेत्राधिकार हो और यदि अनुरोध किए जाने वाले राज्य का तदनुरूपी परिस्थितियों में क्षेत्राधिकार हो। ऐसी परिस्थितियों में अनुरोध किए जाने वाला राज्य अपराध की गंभीरता सहित मामले की सभी परिस्थितियों पर विचार करेगा।

(3) इसके अतिरिक्त प्रत्यर्पण अनुच्छेद-2 में यथावर्णित प्रत्यर्पण अपराध के संबंध में उपलब्ध होगा:

(क) यदि वह अपराध अनुरोधकर्ता राज्य के राष्ट्रिक द्वारा किसी तीसरे राज्य में किया गया है और अनुरोधकर्ता राज्य

2979 GI/93

अपना क्षेत्राधिकार अपराधी की राष्ट्रिकता के संबंध में आधारित करता है ; और

(ख) यदि यह अपराध अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य में किया गया है तो यह अपराध उस राज्य के कानून के तहत अपराध होगा जिसके लिए कम से कम एक वर्ष की कैद की सजा दी जा सकती है।

अनुच्छेद–दो : प्रत्यर्पण अपराध

(1) इस संधि के प्रयोजनार्थ किसी प्रत्यर्पण अपराध से अभिप्राय किसी ऐसे अपराध से है जिसके लिए दोनों संविदाकारी राज्यों में से प्रत्येक के कानूनों के अधीन कम-से-कम एक वर्ष की अवधि के लिए कैद की सजा दी जा सकती हो।

(2) कोई भी अपराध इस बात के होते हुए भी कि उसका संबंध कराधान से है अथवा राजस्व से है अथवा वह नितान्त राजस्व स्वरूप का है प्रत्यर्पण अपराध हो सकता है।

अनुच्छेद–तीन : सामासिक अपराध

इस संधि के अनुसार किसी भी प्रत्यर्पण अपराध के लिए इस बात के होते हुए भी कि वांछित व्यक्ति का आचरण अनुरोध किए जाने वाले राज्य में पूर्णतः अथवा अंशतः किया गया हो, उस स्थिति में प्रत्यर्पण उपलब्ध होगा यदि उस राज्य के कानून के अनुसार समग्र रूप से उस व्यक्ति के उक्त आचरण अथवा उसके प्रभावों अथवा उसके अभीष्ट प्रभावों के बारे में यह समझा जाएगा कि वह अनुरोध-कर्ता राज्य के प्रदेश में प्रत्यर्पण अपराध है।

अनुच्छेद–चार : राष्ट्रिकों का प्रत्यर्पण

इस संधि में कोई भी बात अनुरोध किए जाने वाले राज्य को किसी प्रादेशिक अपराध अथवा प्रदेश से बाहर किए गए अपराध के संबंध में अपने राष्ट्रिकों का प्रत्यर्पण करने से नहीं रोकती।

अनुच्छेद–पांच : राजनैतिक अपराध से संबंधित अपवाद

(1) प्रत्यर्पण करने से उस स्थिति में मना किया जा सकता है यदि जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है वह राजनैतिक स्वरूप का हो।

(2) इस संधि के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित अपराधों को राजनैतिक स्वरूप का अपराध नहीं माना जाएगा :

(क) वायुयान के गैर-कानूनी अभिग्रहण को रोकने के संबंध में दी हैग में 16 दिसम्बर, 1970 को हस्ताक्षरार्थ रखे गए अभिसमय के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला कोई अपराध;

(ख) नागर विमानन सुरक्षा के खिलाफ गैर-कानूनी कृत्यों को रोकने के लिए मोन्ट्रियल में 23 सितम्बर, 1971 को हस्ताक्षर के लिए रखे गए अभिसमय के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला कोई अपराध ;

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय रूप से संरक्षित व्यक्तियों जिनमें राजनयिक अभिकर्ता भी शामिल हैं, के विरुद्ध अपराधों को रोकने तथा उनके लिए दण्ड देने के संबंध में न्यूयार्क में 14 दिसम्बर, 1973 को हस्ताक्षर के लिए रखे गए अभिसमय के विषय क्षेत्र के अंतर्गत कोई अपराध ;

(घ) बन्धक बनाने के खिलाफ न्यूयार्क में 18 दिसम्बर, 1979 को हस्ताक्षर के लिए रखे गये अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के विषय क्षेत्र के अंतर्गत कोई अपराध;

(ङ) हत्या;

(च) नर-संहार अथवा आपराधिक नर-हत्या ;

(छ) हत्या जिसका ध्येय वास्तविक शारीरिक क्षति पहुंचाना अथवा चोट पहुंचाना, दुर्भावना से घायल करना अथवा संगीन शारीरिक क्षति पहुंचाना हो चाहे, ऐसी कोई क्षति किसी हथियार, किसी हानिकारक पदार्थ से अथवा अन्यथा पहुंचाई गई हो ;

(ज) ऐसा कोई विस्फोट करना जिससे जीवन खतरे में पड़ने, अथवा सम्पत्ति को संगीन क्षति पहुंचने की आशंका हो ;

(झ) ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा कोई विस्फोटक पदार्थ बनाना अथवा उसको अपने पास रखना जो स्वयं अथवा किसी दूसरे व्यक्ति के जरिए जीवन को खतरे में डालने अथवा सम्पत्ति को संगीन क्षति पहुंचाने की मंशा रखता हो ;

(ञ) ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा अग्नि-अस्त्र अथवा गोला बारूद अपने कब्जे में रखना जो या तो स्वयं अथवा दूसरे व्यक्ति के जरिए जीवन को खतरे में डालने की मंशा रखता हो;

(ट) किसी व्यक्ति द्वारा अपनी अथवा दूसरे व्यक्ति की गिरफ्तारी अथवा नजरबंदी का प्रतिरोध करने अथवा उसे रोकने की मंशा से किसी अग्नि-अस्त्र का प्रयोग ;

(ठ) सार्वजनिक अथवा अन्यथा उपयोग के लिए प्रयुक्त सम्पत्ति को क्षति पहुंचाना जिसका उद्देश्य जीवन को खतरे में डालना हो अथवा जिसमें इस बात की कतई परवाह न की गई हो कि उससे किसी अन्य व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ेगा;

(ड) अपहरण करना, अपहरण, मिथ्या रूप से कैद करना अथवा गैर-कानूनी नजरबंदी जिसमें बंदी बनाना भी शामिल है ;

(ढ) हत्या के लिए दुष्प्रेरित करना ;

(ण) आतंकवाद से संबद्ध अन्य ऐसा कोई अपराध जो अनुरोध के समय, अनुरोध किए जाने वाले पक्ष के कानून के तहत राजनीतिक स्वरूप का अपराध न माना जाता हो;

(त) उपर्युक्त अपराधों में से कोई अपराध करने का प्रयास करना, उसके लिए षड्यंत्र करना अथवा उसमें ऐसे व्यक्ति के सह-अपराधी के रूप में भागीदार होना जिसने ऐसा अपराध किया हो अथवा करने का प्रयास किया हो।

अनुच्छेद–छह : राज्यक्षेत्रातीत क्षेत्राधिकार का विस्तार

(1) यूनाईटिड किंगडम की सरकार इस बात का वचन लेती है कि वह यूनाईटिड किंगडम के कानून के तहत निम्नलिखित अपराधों में से किसी भी अपराध को भारत में किया गया अपराध मानेगी :

(क) इस संधि के अनुच्छेद-पांच में विनिर्दिष्ट अभिसमयों में से किसी भी अभिसमय के अन्तर्गत आने वाला कोई अपराध ;

(ख) हत्या, नर-संहार अथवा आपराधिक नर-हत्या, अपहरण, अपहरण, मिथ्या बन्दीकरण अथवा गैर-कानूनी नजरबंदी जिसमें किसी को बंदी बनाना भी शामिल है;

(ग) इस संधि के अनुच्छेद-पांच में यथाविनिर्दिष्ट कोई विस्फोट करने, विस्फोटक बनाने अथवा उन्हें अपने कब्जे में रखने अथवा अग्नि अस्त्र को अपने कब्जे में रखने अथवा उसका प्रयोग करने अथवा गोला-बारूद को अपने कब्जे में रखने से संबद्ध कोई अपराध;

(घ) उपर्युक्त अपराधों में से किसी भी अपराध को करने का प्रयास करना अथवा उसमें सह-अपराधी के रूप में भागीदार होना।

(2) भारत सरकार यूनाईटिड किंगडम में किए जाने वाले अपराधों पर तदनुरूपी क्षेत्राधिकार स्थापित करने का वचन लेती है।

अनुच्छेद—सात : षड्यंत्र, दुष्प्रेरणा तथा उसका प्रयास करने से संबद्ध अपराध

(1) यूनाईटिड किंगडम में रहने वाले किसी व्यक्ति के लिए यूनाईटेड किंगडम के कानून के अनुसार वह भी अपराध माना जाएगा,

(क) निम्नलिखित अपराधों में से किसी अपराध के लिए भारत में षड्यंत्र करने का प्रयास अथवा अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरित करना अथवा उसमें सह-अपराधी के रूप में भागीदारी, अपराध करना :

(i) इस संधि के अनुच्छेद-पांच में विनिर्दिष्ट किसी भी अभिसमय के अन्तर्गत कोई भी अपराध;

(ii) हत्या, नर संहार अथवा आपराधिक नर-हत्या, व्यपहरण, अपहरण, मिथ्या बन्दीकरण अथवा गैर-कानूनी नजरबंदी जिसमें किसी को बंधक बनाना भी शामिल है;

(iii) अनुच्छेद-पांच में यथाविनिर्दिष्ट किसी विस्फोट का निमित्त बनने, विस्फोटक सामग्री बनाने अथवा अपने अधिकार में रखने, किसी आग्नेयास्त्र को अपने अधिकार में रखने अथवा उसका प्रयोग करने अथवा गोला-बारूद को अपने अधिकार में रखने से संबद्ध अपराध;

(ख) उक्त उप-पैराग्राफ (i) से (iii) में वर्णित कोई भी अपराध भारत में करने का षड्यंत्र करना।

(2) भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति के लिए भारत के कानून के अन्तर्गत यह अपराध माना जाएगा;

(क) निम्नलिखित अपराधों में से किसी अपराध के लिए यूनाईटिड किंगडम में षड्यंत्र करने का प्रयास अथवा अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरित करना अथवा उसमें सह-अपराधी के रूप में भागीदारी, अपराध करना :

(i) इस संधि के अनुच्छेद-पांच में विनिर्दिष्ट किसी भी अभिसमय के अन्तर्गत कोई अपराध;

(ii) हत्या, नर-संहार अथवा आपराधिक नर हत्या, व्यपहरण, अपहरण, मिथ्या बन्दीकरण अथवा गैर-कानूनी नजरबंदी जिसमें किसी को बंधक बनाना भी शामिल है ;

(iii) इस संधि के अनुच्छेद-पांच में यथा-विनिर्दिष्ट किसी विस्फोट का निमित्त बनने, विस्फोटक सामग्री बनाने अथवा अपने अधिकार में रखने, किसी आग्नेयास्त्र को अपने अधिकार में रखने अथवा प्रयोग में लाने, अथवा गोला-बारूद को अपने अधिकार में रखने से संबद्ध अपराध;

(ख) उक्त उपपैरा (i) से (iii) में वर्णित अपराधों में से किसी को भी यूनाईटिड किंगडम में करने का षड्यंत्र करना।

(3) उपर्युक्त पैराग्राफ (1) (ख) और 2 (ख) के प्रयोजन के लिए जैसा कि ऊपर कहा गया है, षड्यंत्र करने को तभी अपराध माना जाएगा जबकि उस देश में किसी व्यक्ति के लिए षड्यंत्र करना या वैसा अपराध करना वहां के कानून के अन्तर्गत अपराध हो जहां षड्यंत्र करने का आरोप लगाया गया हो।

अनुच्छेद—आठ : प्रत्यर्पण और अभियोजन

(1) अनुरोध किए जाने वाला राज्य प्रत्यर्पण के अनुरोध को उस स्थिति में नामंजूर कर सकता है यदि जिस व्यक्ति के लिए प्रत्यर्पण की मांग की गई हो उस पर उस राज्य के न्यायालयों में प्रत्यर्पण अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता हो।

(2) जहां अनुरोध किए जाने वाला राज्य इस अनुच्छेद के पैराग्राफ-1 में दिए गए कारण से प्रत्यर्पण के अनुरोध को नामंजूर करता है वहां वह अपने सक्षम प्राधिकारियों को मामला प्रस्तुत करेगा ताकि अभियोजन पर विचार किया जा सके। वे प्राधिकारी उस राज्य के कानून के तहत गम्भीर स्वरूप के किसी अपराध के मामले की तरह अपना निर्णय लेंगे।

(3) यदि सक्षम प्राधिकारी अभियोजन नहीं चलाने का निर्णय लेते हैं तो ऐसे मामले में प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध पर इस संधि के अनुसार पुनः विचार किया जाएगा।

अनुच्छेद—नौ : प्रत्यर्पण नामंजूर करने से संबद्ध आधार

(1) किसी व्यक्ति को उस स्थिति में प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकेगा यदि :

(क) वह अनुरोध किए जाने वाले राज्य का इस बारे में समाधान कर देता है कि उसके प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध (हालांकि जिसका उद्देश्य प्रत्यर्पण अपराध के लिए हो) वास्तव में उसकी जाति, धर्म, राष्ट्रिकता अथवा राजनीतिक विचारधाराओं के कारण उस पर मुकदमा चलाने, उसे दण्ड देने के प्रयोजन से किया गया है; अथवा

(ख) वह अनुरोध किए जाने वाले राज्य का इस बारे में समाधान कर देता है कि यदि उसे प्रत्यर्पित कर दिया जाएगा तो उसकी जाति, धर्म, राष्ट्रिकता अथवा राजनीतिक विचारधाराओं के कारण उसके विचारण के दौरान उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा सकता है, अथवा उसे दण्डित किया जा सकता है, नजरबन्द किया जा सकता है, अथवा उसकी वैयक्तिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है; अथवा

(ग) वह अनुरोध किए जाने वाले राज्य का इस बारे में समाधान कर सकता है कि सभी परिस्थितियों को देखते हुए निम्नलिखित कारणों से उसे प्रत्यर्पित करना अन्यायपूर्ण अथवा पीड़ादायक होगा :

(i) वह जिस अपराध का अभियुक्त है अथवा सिद्धदोष है वह अपराध तुच्छ स्वरूप का है; अथवा

(ii) उस समय से जब से उस पर यह आरोप है कि उसने इसे किया है अथवा वह गैर-कानूनी रूप से भाग गया है जैसा भी मामला है; अथवा

(iii) उसके खिलाफ जो आरोप है उसे लेकर स्थिति से न्याय के हित को दृष्टिगत रखते हुए नहीं लगाया गया है; अथवा

(घ) वह जिस अपराध का अभियुक्त अथवा सिद्धदोष है वह सैनिक अपराध है जो सामान्य दांडिक कानून के तहत भी अपराध नहीं है।

(2) किसी भी व्यक्ति को जिसे किसी प्रत्यर्पण अपराध का सिद्धदोष पाया गया है तब तक प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता जब तक उसे चार महीने अथवा उससे अधिक की अवधि के लिये कैद की सजा अथवा किसी भी अन्य रूप में नजरबंद करने की सजा

अथवा अनुच्छेद-16 के अन्तर्गत रहते हुए मृत्यु-दण्ड की सजा न दी गई हो।

(3) किसी भी व्यक्ति को उस स्थिति में प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता यदि उसे, वह अपराध करने के लिये जिसके संबंध में उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है उस पर अनुरोध किये जाने वाले राज्य के प्रदेश में मुकदमा चलाये जाने की स्थिति में यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह पूर्व रिहाई अथवा दोषसिद्धी के संबंध में अनुरोध किये जाने वाले राज्य के कानून के किसी नियम के तहत रिहाई का हकदार है।

अनुच्छेद—दस : अभ्यर्पण का स्थगन

(1) यदि वांछित व्यक्ति के खिलाफ दांडिक कार्यवाही अनुरोध किये जाने वाले राज्य के प्रदेश में की जाती है अथवा उसे दांडिक कार्यवाही के परिणामतः कानूनन नजरबंद किया जाता है तो उसे प्रत्यर्पित करने अथवा प्रत्यर्पित न करने का निर्णय तब तक स्थगित कर दिया जायेगा जब तक दांडिक कार्यवाही पूरी न हो गई हो अथवा जब तक वह नजरबंदी से रिहा हो गया हो।

(2) किसी भी वांछित व्यक्ति को तब तक प्रत्यर्पित नहीं किया जायेगा जब तक :

(क) अनुरोध किये जाने वाले राज्य के कानून के अनुसार यह निर्णय नहीं कर लिया जाता कि उसे प्रत्यर्पित किया जाता है; और

(ख) उस राज्य के कानून द्वारा अपेक्षित अवधि की समाप्ति पर।

अनुच्छेद—ग्यारह : प्रत्यर्पण कियान्विधियां

(1) इस संधि के अनुच्छेद-22 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए प्रत्यर्पण के लिये अनुरोध राजनयिक माध्यम से किया जायेगा।

(2) अनुरोध के साथ निम्नलिखित विवरण संलग्न किये जायेंगे :

(क) वांछित व्यक्ति का यथासंभव सही-सही विवरण और इसके साथ ऐसी कोई अन्य सूचना भी दी जाये जिससे उसकी पहचान, उसकी राष्ट्रीयता और उसके आवास का पता लगाने में सहायता मिले;

(ख) अपराध के तथ्यों का विवरण जिसके लिये प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया हो; और

(ग) कानून का पाठ, यदि कोई हो;

(i) जिसमें उस अपराध को परिभाषा की गई हो; और

(ii) जिसमें उस अपराध के लिये अधिकतम दण्ड निर्धारित किया गया हो।

(3) यदि उक्त अनुरोध किसी अभियुक्त व्यक्ति से संबद्ध हो तो उसके साथ अनुरोधकर्ता राज्य के प्रदेश में किसी न्यायाधीश मजिस्ट्रेट अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी गिरफ्तारी वारण्ट भी साथ लगाया जाना चाहिये और यदि अपराध अनुरोध किये जाने वाले राज्य के प्रदेश में किया गया हो तो उस स्थिति में अनुरोध किये जाने वाले राज्य के कानून के अनुसार ऐसा कोई साक्ष्य लगाया जाना चाहिये जो अभियुक्त व्यक्ति द्वारा किये गये अपराध के आधार पर उसके विचारण को न्यायोचित ठहराता हो। इसके साथ-साथ यह भी साक्ष्य लगाना चाहिये जिससे यह साबित होता हो कि वांछित व्यक्ति वही व्यक्ति है जिससे गिरफ्तारी वारण्ट संबंधित है।

(4) यदि अनुरोध पहले से किसी सिद्ध-दोष व्यक्ति अथवा सजायाफ्ता व्यक्ति से संबंधित हो तो उसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज लगाये जाने चाहिये :

(क) दोषसिद्ध और सजा का प्रमाण-पत्र;

(ख) इस आशय का विवरण कि संबंधित व्यक्ति को दोषसिद्ध अथवा सजा पर आपत्ति उठाने का अधिकार प्राप्त नहीं है और इस विवरण में यह भी बताया जाना चाहिये कि कितनी सजा अभी बाकी रहती है।

(5) ऐसे किसी सिद्धदोष व्यक्ति के संबंध में जो अपने विचारण के समय उपस्थित नहीं था, उस व्यक्ति के संबंध में इस अनुच्छेद के पैरा (4) के प्रयोजनों के लिये यह समझा जाना चाहिये कि वह वह उस अपराध का अभियुक्त था जिसमें उसे सिद्धदोष पाया गया।

(6) यदि अनुरोध किये जाने वाला राज्य यह समझता है कि इस संधि के प्रयोजनार्थ दिया जाने वाला साक्ष्य अथवा दी गई सूचना अनुरोध के संबंध में कोई निर्णय लेने के लिये पर्याप्त नहीं है तो अतिरिक्त साक्ष्य अथवा सूचना अनुरोधकर्ता राज्य द्वारा अपेक्षित अवधि के भीतर दी जायेगी।

अनुच्छेद—बारह : अनन्तिम गिरफ्तारी

(1) तात्कालिक मामलों में वांछित व्यक्ति को अनुरोध किये जाने वाले राज्य के कानून के अनुसार अनुरोधकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारियों के आवेदन पर अनन्तिम रूप से गिरफ्तार किया जा सकता है। इस आवेदन में इस आशय का उल्लेख होना चाहिये कि उस व्यक्ति के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है और गिरफ्तारी वारण्ट अथवा दोषसिद्ध का विवरण होना चाहिये और यदि उपलब्ध हो तो उस व्यक्ति का विवरण और ऐसी कोई अन्य सूचना यदि कोई हो तो अनुरोध किये जाने वाले राज्य के प्रदेश में अपराध किये जाने वाले अथवा वांछित व्यक्ति को दोषसिद्ध किये जाने के संबंध में गिरफ्तारी वारण्ट को जारी करने की कार्यवाही को न्यायोचित ठहराने के लिये आवश्यक हो।

(2) एसे किसी आवेदन पर गिरफ्तार किये गये किसी व्यक्ति को उस स्थिति में उसकी गिरफ्तारी की तारीख से 60 दिन के बाद रिहा कर दिया जायेगा यदि उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध प्राप्त नहीं होगा। इस प्रावधान से वांछित व्यक्ति के प्रत्यर्पण के संबंध में और आगे कार्रवाई करने पर उस स्थिति में रोक नहीं लगती यदि ऐसा अनुरोध बाद में प्राप्त होता है।

अनुच्छेद—तेरह : विशेष नियम

(1) ऐसे किसी भी व्यक्ति पर, जिसे इस संधि के अन्तर्गत अनुरोधकर्ता राज्य के प्रदेश में वापस भेज दिया जाता है इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) में उल्लिखित अवधि के दौरान अनुरोधकर्ता राज्य के प्रदेश में ऐसे किसी अपराध के लिये अथवा उसके संबंध में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जो उस प्रदेश में उसकी वापसी से पहले किया गया हो सिवाय इसके कि :

(क) अपराध जिनके संबंध में उसकी वापसी की गई;

(ख) ऐसा कोई अपराध जो उसकी वापसी करवाने के प्रयोजनार्थ तथ्यों द्वारा उद्घाटित अपराध से अपेक्षाकृत कम साबित हो सिवाय उस अपराध के जिसके संबंध में उसकी वापसी का आदेश कानूनी रूप से नहीं दिया जा सका; अथवा

(ग) ऐसा कोई अन्य अपराध जिसके संबंध में अनुरोध किया जाने वाला पक्ष उक्त व्यक्ति के संबंध में अपनी सहमति दे दे सिवाय उस अपराध के जिसके संबंध में उसकी वापसी का आदेश कानूनी रूप से नहीं दिया जा सका अथवा वास्तव में दिया नहीं जायेगा।

(2) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) में उल्लिखित अवधि अनुरोधकर्ता राज्य के प्रदेश में उसके पहुंचने के दिन से शुरू होगा अथवा इस संधि के अन्तर्गत उसकी वापसी के दिन से और उसकी समाप्ति के 45 दिन के बाद परवर्ती अनुरोधकर्ता राज्य को छोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ हो।

(3) इस अनुच्छेद के पैरा (1) के प्रावधान इस संधि के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को वापसी के बाद किये गये अपराधों अथवा ऐसे अपराधों से उठने वाले मामलों पर लागू नहीं होंगे।

(4) किसी व्यक्ति को किसी तीसरे राज्य को पुनः प्रत्यर्पित नहीं किया जायेगा सिवाय इसके कि जब उसे उस राज्य के प्रदेश को छोड़ने का अवसर दिया गया हो जिस राज्य के पास उसे भेजा गया है लेकिन उसने अपनी अन्तिम रिहाई के 60 दिनों के भीतर ऐसा नहीं किया हो अथवा वह उस राज्य के प्रदेश को छोड़ देने के बाद उस प्रदेश में वापस लौटा हो।

अनुच्छेद—चौदह : साक्ष्य

(1) अनुरोध किये जाने वाले राज्य के प्राधिकारी प्रत्यर्पण की किसी कार्यवाही में शपथ अथवा प्रतिज्ञान के जरिये लिये गये किसी साक्ष्य, किसी वारण्ट अथवा उसकी किसी प्रमाणित प्रति और उसके किसी प्रमाण-पत्र अथवा न्यायिक दस्तावेज को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करेंगे जिसमें उसको दोषसिद्धि का विवरण दिया गया हो। यदि उसे निम्नलिखित द्वारा अधिप्रमाणित किया गया हो।

(क) (1) अनुरोधकर्ता राज्य के किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित वारण्ट के मामले में अथवा प्रकाशित किसी मूल दस्तावेज के मामले में; और

(2) कुछ साक्षियों की शपथ पर अथवा अनुरोधकर्ता राज्य के समुचित मंत्री की सरकारी मोहर लगी होने पर, अथवा

(ख) अनुरोध किये जाने वाले राज्य के कानून द्वारा अनुमत किसी अन्य विधि से।

(2) पैरा (1) में उल्लिखित साक्ष्य अनुरोध किये जाने वाले राज्य में मान्य होगा चाहे वह अनुरोधकर्ता राज्य में अथवा किसी तीसरे राज्य में शपथ अथवा प्रतिज्ञात हो।

अनुच्छेद—पन्द्रह : प्रतिस्पर्धी अनुरोध

यदि एक ही व्यक्ति के प्रत्यर्पण की मांग एक जैसे अपराध अथवा अलग-अलग अपराधों के आधार पर संविदाकारी राज्य तथा किसी ऐसे तीसरे राज्य जिसने अनुरोध किए जाने वाले राज्य के साथ प्रत्यर्पण व्यवस्था कर रखी हो, की जाती है तो अनुरोध किए जाने वाला राज्य यह निश्चित करेगा कि उस व्यक्ति को किस राज्य को प्रत्यर्पित किया जाए और वह राज्य संविदाकारी राज्य को तरजीह देने के लिए बाध्य नहीं होगा।

अनुच्छेद—सोलह : मृत्यु-दण्ड

यदि अनुरोधकर्ता राज्य के कानून के तहत वांछित व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए मृत्यु-दण्ड दिया जा सकता है जिसके लिए उसके प्रत्यर्पण की मांग की गई है लेकिन अनुरोध किए जाने वाले राज्य के कानून में इस प्रकार के मामले में मृत्यु दण्ड की व्यवस्था नहीं हो तो प्रत्यर्पण करने से तब तक इंकार किया जा सकता है जब तक अनुरोधकर्ता राज्य अनुरोध किए जाने वाले राज्य की अपेक्षानुसार ऐसा पर्याप्त आश्वासन नहीं दे सकता कि मृत्यु दण्ड पर अमल नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद—सत्रह : अभ्यर्पण

(1) यदि प्रत्यर्पण की इजाजत दे दी जाती है तो वांछित व्यक्ति को अनुरोध किए जाने वाले राज्य के प्राधिकारियों द्वारा अपने राज्य के प्रदेश से ऐसे सुविधाजनक रवानगी स्थल पर भेजा जाएगा जिसका अनुरोधकर्ता राज्य ने उल्लेख किया हो।

(2) अनुरोधकर्ता राज्य वांछित व्यक्ति को अनुरोध किए जाने वाले राज्य के प्रदेश से एक महीने के भीतर अथवा अनुरोध किए जाने वाले राज्य के कानून द्वारा अनुमत अवधि के भीतर ले जाएगा। यदि उसे उस अवधि के भीतर नहीं लाया जाता है तो अनुरोध किया जाने वाला राज्य उस अपराध के लिए वांछित व्यक्ति को प्रत्यर्पित करने से मना कर सकता है।

अनुच्छेद—अठारह : सम्पत्ति का अभ्यर्पण

(1) जब प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध स्वीकार कर लिया गया हो तो अनुरोध किया जाने वाला राज्य अनुरोध करने पर और जहां तक उसका कानून इजाजत देता हो अनुरोधकर्ता राज्य को सभी वस्तुएं (धनराशियों सहित) सौंप देगा जो अपराध के साक्ष्य अथवा प्रमाण के रूप में काम आ सकता है।

(2) यदि प्रश्नगत वस्तुएं अनुरोध किए जाने वाले राज्य में अभिगृहीत अथवा जब्त की जा सकती हों तो अनुरोध किया जाने वाला राज्य लम्बित पड़ी कार्रवाई के सिलसिले में उन्हें अस्थायी रूप में अपने पास रख सकता है अथवा उन्हें इस शर्त पर सौंप सकता है कि वे उसे वापिस कर दी जाएंगी।

(3) ये प्रावधान अनुरोध किए जाने वाले राज्य अथवा वांछित व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति के अधिकारों को दुष्प्रभावित नहीं करेंगे। जब ये अधिकार बहाल होंगे तो उक्त वस्तुएं अनुरोध किए जाने पर कार्यवाही समाप्त होते ही बिना किसी प्रभार के अनुरोध किए जाने वाले राज्य को वापस कर दी जाएंगी।

अनुच्छेद—उन्नीस : प्रत्यर्पण में पारस्परिक कानूनी सहायता

प्रत्येक संविदाकारी राज्य अपने-अपने कानूनों द्वारा दी गई अनुमति की सीमा तक उस अपराध के संबंध में दाण्डिक मामलों में दूसरे को अधिक से अधिक सहायता देगा जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया हो।

अनुच्छेद—बीस : दस्तावेज तथा व्यय

(1) यदि किसी मामले विशेष में अनुरोध किया जाने वाला राज्य अपेक्षा करता हो तो अनुरोधकर्ता राज्य इस संधि के उपबंधों के अनुसार प्रस्तुत किए गए किसी भी दस्तावेज का अनुवाद देगा।

(2) प्रत्यर्पण के अनुरोध की वजह से अनुरोध किए जाने वाले राज्य के प्रदेश में हुए खर्च को उस राज्य द्वारा ही वहन किया जाएगा।

(3) अनुरोध किए जाने वाला राज्य ही सभी प्रबन्ध करेगा जो कि प्रत्यर्पण के अनुरोध से उत्पन्न किसी कार्यवाही में अनुरोधकर्ता राज्य के प्रत्यावेदन के संबंध में अपेक्षित होंगे।

अनुच्छेद–21 : प्रादेशिक प्रवर्तन

(1) यह संधि निम्नलिखित के संबंध में लागू होगी :

(क) यू.के. के मामले में (i) ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरलैण्ड और (ii) किसी भी प्रदेश पर जिसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए यूनाईटेड किंगडम जिम्मेदार हो तथा जिस पर संविदाकारी पक्षों के बीच पत्रों के आदान-प्रदान के जरिए हुई सहमति से इस संधि को विस्तारित किया गया हो ; और

(ख) भारत गणराज्यों पर और संविदाकारी राज्यों के प्रदेश से संबद्ध संदर्भों का अभिप्राय तदनुसार होगा।

(2) इस संधि के प्रवर्तन को किसी ऐसे प्रदेश पर जिसके संबंध में इस अनुच्छेद के पैरा (1) के अनुसार इसका विस्तार किया गया हो दोनों संविदाकारी राज्यों में से कोई भी संविदाकारी राज्य राजनयिक माध्यम के जरिए छह महीने का नोटिस देकर समाप्त कर सकता है।

(3) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) के अनुसार जब तक किसी प्रदेश पर इस संधि का विस्तार न किया गया हो तब तक भारत गणराज्य तथा उस प्रदेश के बीच इस संधि के प्रवर्तन से पूर्व मौजूद प्रत्यर्पण की व्यवस्था बनी रहेगी।

अनुच्छेद-बाईस : आश्रित प्रदेश

किसी ऐसे अपराधी के प्रत्यर्पण के लिए भारत गणराज्य की सरकार की ओर से अनुरोध, जो ऐसे प्रदेशों में से किसी प्रदेश में पाया गया हो, जिन पर इस संधि के अनुच्छेद-21 के पैरा 1 के अनुसार यह संधि विस्तारित की गई हो, उस प्रदेश के गवर्नर अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी से किया जा सकता है, जो इस संबंध में निर्णय ले सकता है अथवा मामले को निर्णय के लिए यूनाइटेड किंगडम की महामहिम की सरकार को भेज सकता है।

अनुच्छेद-तेईस : अनुसमर्थन और समाप्ति

(1) यह संधि अनुसमर्थन के अधीन होगी और अनुसमर्थन के दस्तावेजों का आदान-प्रदान (विनिर्दिष्ट नहीं) में यथासंभव शीघ्र किया जाएगा। यह संधि अनुसमर्थन के दस्तावेजों के आदान-प्रदान की तारीख से प्रवृत्त हो जाएगी।

(2) दोनों संविदाकारी राज्यों में से कोई भी संविदाकारी राज्य किसी भी समय इस संधि को राजनयिक माध्यम से दूसरे संविदाकारी राज्य को नोटिस देकर समाप्त कर सकता है, और यदि इस प्रकार का कोई नोटिस दिया जाता है तो यह संधि ऐसे नोटिस की प्राप्ति से छह महीने बाद निष्प्रभावी हो जाएगी।

जिसके साक्ष्यस्वरूप अधोहस्ताक्षरियों ने जिन्हें उनकी अपनी-अपनी सरकारों ने इस पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत् प्राधिकृत किया है, इस संधि पर अपने हस्ताक्षर किए हैं।

सितम्बर, 1992 के आज बाईसवें दिन लंदन में हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में दो प्रतियों में तैयार किया गया। किसी अंतर की दशा में अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा।

केन्द्रीय सरकार प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना सा.का.नि. सं. 34(अ), तारीख 20 जनवरी, 1972 को अधिक्रांत करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबंध, अध्याय 3 से भिन्न, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से संयुक्त राज्य ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैण्ड को लागू होंगे।

[सं. एल-413/12/93]

डॉ. पी. श्रीनिवास राव, संयुक्त सचिव
और विधि सलाहकार

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 30th December, 1993

G.S.R. 790(E).—Whereas the Extradition Treaty between the Government of the Republic of India and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland was signed on 22nd September, 1992 and the instruments of ratification exchanged at New Delhi on 15th November, 1993 and which Treaty provides as follows :

EXTRADITION TREATY BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

The Government of the Republic of India and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland;

Desiring to make more effective the cooperation of the two countries in the suppression of crime by making further provision for the reciprocal extradition of offenders;

Recognising that concrete steps are necessary to combat terrorism;

Have agreed as follows :

Article 1—Duty to Extradite.

(1) Each Contracting State undertakes to extradite to the other, in the circumstances and subject to the conditions specified in this Treaty, any person who, being accused or convicted of an extradition offence as described in Article 2, committed within the territory of the one State, is found within the territory of the other State, whether such offence was committed before or after the entry into force of this Treaty.

(2) Extradition shall also be available in respect of an extradition offence as described in Article 2 committed outside the territory of the Requesting State but in respect of which it has jurisdiction if the Requested State would, in corresponding circumstances, have jurisdiction over such an offence. In such circumstances the Requested State shall have regard to all the circumstances of the case including the seriousness of the offence.

(3) In addition, extradition shall be available for an extradition offence as described in Article 2 :

(a) if it is committed in a third State by a national of the Requesting State and the Requesting State bases its jurisdiction on the nationality of the offender; and

(b) if it occurred in the Requested State, it would be an offence under the law of that State punishable with imprisonment for a term of at least one year.

Article 2 : Extradition Offences :

(1) An extradition offence for the purposes of this Treaty is constituted by conduct which under the laws of each Contracting State is punishable by a term of imprisonment for a period of at least one year.

(2) An offence may be an extradition offence notwithstanding that it relates to taxation or revenue or is one of a purely fiscal character.

Article 3 : Composite Offences :

Extradition shall be available in accordance with this Treaty for an extradition offence, notwithstanding that the conduct of the person sought occurred wholly or in part in the Requested State, if under the law of that State his conduct and its effects, or its intended effects, taken as a whole, would be regarded as constituting the commission of an extradition offence in the territory of the Requesting State.

Article 4 : Extradition of Nationals :

Nothing in this Treaty shall preclude the extradition by the Requested State of its nationals either in respect of a territorial offence or in respect of an extraterritorial offence.

Article 5 : The Political Offence Exception :

(1) Extradition may be refused if the offence of which it is requested is an offence of a political character.

(2) For the purposes of this Treaty the following offences shall not be regarded as offences of a political character :

(a) an offence within the scope of the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, opened for signature at the Hague on 16 December 1970;

(b) an offence within the scope of the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, opened for signature at Montreal on 23 September 1971;

(c) an offence within the scope of the Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, opened for signature at New York on 14 December 1973;

(d) an offence within the scope of the International Convention against the Taking of Hostages, opened for signature at New York on 18 December 1979;

(e) murder;

(f) manslaughter or culpable homicide;

(g) assault occasioning actual bodily harm, or causing injury, maliciously wounding or inflicting grevious bodily harm whether by means of a weapon, a dangerous substances or otherwise;

(h) the causing of an explosion likely to endanger life or cause serious damage to property;

(i) the making or possession of an explosive substance by a person who intends either himself or through another person to endanger life or cause serious damage to property;

(j) the possession of a firearm or ammunition by a person who intends either himself or through another person to endanger life;

(k) the use of a firearm by a person with intent to resist or prevent the arrest or detention of himself or another person;

(l) damaging property whether used for public utilities or otherwise with intent to endanger life or with reckless disregard as to whether the life of another would thereby be endangered;

(m) kidnapping, abduction, false imprisonment or unlawful detention, including the taking of a hostage;

(n) incitement to murder;

(o) any other offence related to terrorism which at the time of the request is, under the law of the Requested Party, not to be regarded as an offence of a political character;

(p) an attempt or conspiracy to commit any of the foregoing offences or participation as an accomplice of a person who commits or attempts commit such an offence.

Article 6 : Extension of Extraterritorial Jurisdiction :

(1) The Government of the United Kingdom undertakes to make it an offence under the law of the United Kingdom to commit in India any of the following offences :

(a) an offence under any of the Conventions specified in article 5 of this Treaty;

(b) murder, manslaughter or culpable homicide, kidnapping, abduction, false imprisonment or unlawful detention including the taking of a hostage;

(c) an offence relating to the causing of an explosion, the making or possession of explosives, the possession or use of a firearm or the possession of ammunition as specified in Article 5 of this Treaty;

(d) an attempt to commit or participation as an accomplice in any of the foregoing offences.

(2) The Government of India undertakes to establish corresponding jurisdiction over offences committed in the United Kingdom.

Article 7 : Offences of Conspiracy, Incitement and Attempt

(1) It shall also be an offence under the law of the United Kingdom for any person in the United Kingdom.

(a) to attempt to commit in India, or incite, or participate as an accomplice in, the commission in India of any of the following offences :

(i) an offence under any of the Conventions specified in Article 5 of this Treaty;

(ii) murder, manslaughter or culpable homicide, kidnapping, abduction, false imprisonment or unlawful detention including the taking of a hostage;

(iii) an offence relating to the causing of an explosion, the making or possession of explosives, the possession or use of a firearm or the possession of ammunition as specified in Article 5;

(b) to conspire to commit in India any offence mentioned in sub-paragraphs (i) to (iii) above.

(2) It shall be an offence under the law of India for any person in India,

(a) to attempt to commit in the United Kingdom, or incite, or participate as an accopmlice in, the commission in the United Kingdom of any of the following offences :

(i) an offence under any of the conventions specified in Article 5 of this Treaty;

(ii) murder, manslaughter or culpable homicide, kidnapping, abduction, false imprisonment or unlawful detention including the taking of a hostage;

(iii) an offence relating to the causing of an explosion, the making or possession of explosives, the possession or use of a firearm or the possession of ammunition as specified in Article 5;

(b) to conspire to commit in the United Kingdom any offence mentioned in sub-paragraphs (i) to (iii) above.

(3) For the purposes of paragraphs (1) (b) and (2) (b) above, it shall be an offence to conspire as aforesaid only where it would be an offence under the law of the country in which the conspiracy is alleged to take place for a person to conspire in that country in the commission in that country of such an offence.

Article 8 : Extradition and Prosecution

(1) The request for extradition may be refused by the Requested State if the person whose extradition is sought may be tried for the extradition offence in the courts of that State.

(2) Where the Requested State refuses a request for extradition for the reason set out in paragraph 1 of this Article, it shall submit the case to its competent authorities so that prosecution may be considered. Those authorities shall take their decision in the same manner as in the case of any offence of a serious nature under the law of that State.

(3) If the competent authorities decide not to prosecute in such a case, the request for extradition shall be reconsidered in accordance with this Treaty.

Article 9 : Grounds for Refusal of Extradition.

(1) A person may not be extradited if :

(a) he satisfies the Requested State that the request for his extradition (though purporting to be made on account of an extradition offence) has in fact been made for the purpose of prosecuting or punishing him on account of his race, religion, nationality or political opinions; or

(b) he satisfies the Requested State that he might, if extradited, be prejudiced at his trial or be punished, detained or restricted in his personal liberty, by reason of his race, religion, nationality or political opinions; or

(c) he satisfies the Requested State that it would, having regard to all the circumstances, be unjust or oppressive to extradite him by reason of :

(i) the trivial nature of the offence of which he is accused or was convicted; or

(ii) the passage of time since he is alleged to have committed it or to have become unlawfully at large, as the case may be; or

(iii) the accusation against him not having been made in good faith in the interests of justice; or

(d) the offence of which he is acused or convicted is a military offence which is not also an offence under the general criminal law.

(2) A person who has been convicted of an extradition offence may not be extradited therefore unless he was sentenced to imprisonment or other form of detention for a period of four months or more or, subject to Article 16, to the death penalty.

(3) A person may not be extradited if he would, if proceeded against in the territory of the Requested State for the offence for which his extradition is requested, be entitled to be discharged under any rule of law of the Requested State relating to previous acquittal or conviction.

ARTICLE 10 : Postponement of Surrender

(1) If criminal proceedings against the person sought are instituted in the territory of the Requested State, or he is lawfully detained in consequence of criminal proceedings, the decision whether or not to extradite him may be postponed until the criminal proceedings have been completed or he is no longer detained.

(2) A person sought may not be extradited until :

(a) it has been decided in accordance with the law of the Required State that he is liable to be extradited ; and

(b) the expiration of any further period which may be required by the law of that State.

ARTICLE 11 : Extradition Procedures

(1) Subject to the provisions of Article 22 of this Treaty, the request for extradition shall be made through the diplomatic channel.

(2) The request shall be accompanied by :

(a) as accurate a description as possible of the person sought, together with any other information which would help to establish his identity, nationality, and residence ;

(b) a statement of the facts of the offence for which extradition is requested, and

(c) the text, if any, of the law :

(i) defining that offence ; and

(ii) prescribing the maximum punishment for that offence.

(3) If the request relates to an accused person, it must also be accompanied by a warrant of arrest issued by a judge, magistrate or other competent authority in the territory of the Requesting State and by such evidence as, according to the law of the Requested State, would justify his committal for trial if the offence had been committed in the territory of the Requested State, including evidence that the person requested is the person to whom the warrant of arrest refers.

(4) If the request relates to a person already convicted and sentenced, it shall also be accompanied :

(a) by a certificate of the conviction and sentence;

(b) by a statement that the person is not entitled to question the conviction or sentence and showing how much of the sentence has not been carried out.

(5) In relation to a convicted person who was not present at his trial, the person shall be treated for the purposes of paragraph (4) of this Article as if he had been accused of the offence of which he was convicted.

(6) If the Requested State considers that the evidence produced or information supplied for the purposes of this Treaty is not sufficient in order to enable a decision to be taken as to the request, additional evidence or information shall be submitted within such time as the Requested State shall require.

ARTICLE 12 : Provisional Arrest

(1) In urgent cases the person sought may, in accordance with the law of the Requested State, be provisionally arrested on the application of the competent authorities of the Requesting State. The application shall contain an indication of intention to request the extradition of that person and a statement of the existence of a warrant of arrest or a conviction against him, and, if available, his description and such further information, if any, as would be necessary to justify the issue of a warrant of arrest had the offence been committed, or the person sought been convicted, in the territory of the Requested State.

(2) A person arrested upon such an application shall be set at liberty upon the expiration of 60 days from the date of his arrest if a request for his extradition shall not have been received. This provision shall not prevent the institution of further proceedings for the extradition of the person sought if a request is subsequently received.

ARTICLE 13 : Rule of Speciality

(1) Any person who is returned to the territory of the Requesting State under this Treaty shall not, during the period described in paragraph (2) of this Article, be dealt with in the territory of the Requesting State for or in respect of any offence committed before he was returned to that territory other than :

(a) the offence in respect of which he was returned ;

(b) any lesser offence disclosed by the facts proved for the purposes of securing his return other than an offence in relation to which an order for his return could not lawfully be made; or

(c) any other offence in respect of which the Requested Party may consent to his being dealt with other than an offence in relation to which an order for his return could not lawfully be made or would not in fact be made.

(2) The period referred to in paragraph (1) of this Article is the period beginning with the day of his arrival in the territory of the Requesting State or his return under this Treaty and ending forty-five days

after the first subsequent day on which he has the opportunity to leave the territory of the Requesting State.

(3) The provisions of paragraph (1) of this Article shall not apply to offences committed after the return of a person under this Treaty or matters arising in relation to such offences.

(4) A person shall not be re-extradited to a third State, except when, having had an opportunity to leave the territory of the State to which he has been surrendered, he has not done so within sixty days of his final discharge, or has returned to that territory after having left it.

ARTICLE 14 : Evidence

(1) The authorities of the Requested State shall admit as evidence, in any proceedings for extradition, any evidence taken on oath or by way of affirmation, any warrant and any certificate of, or judicial document stating the fact of, a conviction, if it is authenticated :

(a) (i) in the case of a warrant being signed, or in the case of any original document by being certified, by a judge, magistrate or other competent authority of the Requesting State; and

(ii) either by oath of some witness or by being sealed with the official seal of the appropriate Minister of the Requesting State; or

(b) in such other manner as may be permitted by the law of the Requested State.

(2) The evidence described in paragraph (1) shall be admissible in extradition proceedings in the Requested State whether sworn or affirmed in the Requesting State or in some third State.

ARTICLE 15 : Competing Requests

If extradition of the same person whether for the same offence or for different offences is requested by a Contracting State and a third State with which the Requested State has an extradition arrangement, the Requested State shall determine to which State the person shall be extradited, and shall not be obliged to give preference to the Contracting State.

ARTICLE 16 : Capital Punishment

If under the law of the Requesting State the person sought is liable to the death penalty for the offence for which his extradition is requested, but the law of the Requested State does not provide for the death penalty in a similar case, extradition may be refused unless the Requesting State gives such assurance as the Requested State considers sufficient that the death penalty will not be carried out.

ARTICLE 17 : Surrender.

(1) If extradition is granted, the person sought shall be sent by the authorities of the Requested State to such convenient point of departure from the territory of that State as the Requesting State shall indicate.

(2) The Requesting State shall remove the person sought from the territory of the Requested State within one month or such longer period as may be permitted under the law of the Requested State. If he is not removed within that period, the Requested State may refuse to extradite him for the same offence.

ARTICLE 18 : Surrender of Property

(1) When a request for extradition is granted, the Requested State shall, upon request and so far as its law allows, hand over to the Requesting State articles (including sums of money) which may serve as proof or evidence of the offence.

(2) If the articles in question are liable to seizure or confiscation in the territory of the Requested State, the latter may, in connection with pending proceedings, temporarily retain them or hand them over on condition that they are returned.

(3) These provisions shall not prejudice the rights of the Requested State or any person other than the person sought. When these rights exist the articles shall on request be returned to the Requested State without charge as soon as possible after the end of the proceedings.

ARTICLE 19 : Mutual Legal Assistance in Extradition

Each Contracting State shall, to the extent permitted by its law, afford the other the widest, measure of mutual assistance in criminal matters in connection with the offence for which extradition has been requested.

ARTICLE 20 : Documents and Expenses

(1) If in any particular case the Requested State so requires, the Requesting State shall supply a translation of any document submitted in accordance with the provisions of this Treaty.

(2) Expenses incurred in the territory of the Requested State by reason of the request for extradition shall be borne by that State.

(3) The Requested State shall make all the arrangements which shall be requisite with respect the representation of the Requesting State in any proceedings arising out of the request.

ARTICLE 21 : Territorial Application

(1) This Treaty shall apply :

(a) in relation to the United Kingdom :

(i) To Great Britain and Northern Ireland; and

(ii) To any territory for whose international relations the United Kingdom is responsible and to which this Treaty shall have been extended by agreement between the Contracting States in an Exchange of Notes; and

(b) to the Republic of India;

and references to the territory of a Contracting State shall be construed accordingly.

(2) The application of this Treaty to any territory, in respect of which extension has been made in accordance with paragraph (1) of this Article, may be terminated by either Contracting State giving six months' notice to the other through the diplomatic channel.

(3) Until the application of the Treaty shall have been extended to a territory in accordance with paragraph (1) of this Article, the extradition arrangements between the Republic of India and that territory subsisting prior to the entry into force of this Treaty shall continue to apply.

ARTICLE 22 : Dependent Territories

A request on the part of the Government of the Republic of India for the extradition of an offender who is found in any of the territories to which this Treaty has been extended in accordance with paragraph (1) of Article 21 of this Treaty may be made to the Governor or other competent authority of that territory, who may take the decision himself or refer the matter to Her Majesty's Government in the United Kingdom for their decision.

ARTICLE 23 : Ratification and Termination

(1) This Treaty shall be subject to ratification and the instruments of ratification shall be exchanged at New Delhi as soon as possible. It shall enter into force on the date of the exchange of instruments of ratification.

(2) Either of the Contracting States may terminate this Treaty at any time by giving notice to the other through the diplomatic channel; and if such notice is given the Treaty shall cease to have effect six months after the receipt of the notice.

In witness whereof the undersigned being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Treaty.

Done in duplicate at London this the twenty second day of September, 1992 in the Hindi and English languages. In case of any doubt, the English text shall prevail.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962) and in supersession of the notification G.S.R. No. 34(E) dated 20th January 1972, the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act, other than Chapter III, shall apply to United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland with effect from the date of publication of this notification.

[No. L-413|12|93]

Dr. P. S. RAO, Jt. Secy. and Legal Adviser

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 187] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 20, 1999/चैत्र 30, 1921
No. 187] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 20, 1999/CHAITRA 30, 1921

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1999

सा० का० नि० 274 (अ).—22 सितम्बर, 1992 को सम्पन्न, भारत-यू०के० प्रत्यर्पण संधि के अनुच्छेद-21 (1) (क)(ii) के उपबन्धों के अनुसरण में, यूनाईटेड किंग्डम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी द्वीप समूह की सरकार के प्रस्ताव पर विचार करते हुए तथा उसे स्वीकार करते हुए और प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतदद्वारा यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम के प्रावधान, अध्याय-III के अलावा, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से आईल ऑफ मेन पर लागू होंगे।

[सं० टी.413/61/96]

एस० आर० तायल, संयुक्त सचिव (सी पी वी)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 20th April, 1999

G. S. R. 274(E).—Having considered and accepted the proposal of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, in terms of Article 21(1)(a)(ii) of the Indo-UK Extradition Treaty, signed on 22nd September, 1992 and in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act, other than Chapter III, shall apply to the Isle of Man, with effect from the date of publication of this notification.

[No. T.413/61/96]

S. R. TAYAL, Jt. Secy. (CPV)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054